सत्र परीक्षण संख्या 16/2014

राज्य प्रति शिवशंकर व अन्य

आदेश

प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र अभियुक्त अमित की ओर से उसके अधिवक्ता श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट द्वारा इस आधार पर योजित किया गया है कि अभियुक्त की परीक्षा है, जिसके कारण आज वह न्यायालय आने में अमसर्थ है। पेशकार द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी है कि श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट का वकालतनामा अभियुक्त अमित से हस्ताक्षरित इस सत्र परीक्षण हेतु नहीं है। अतः श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट को प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र योजित करने का कोई हक व हकूक हासिल नहीं होता है। अभियुक्त अमित के परीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अभियुक्त अमित का हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र 51ख खारिज किया जाता है। अभियुक्त अमित के विरूद्ध गैरजमानतीय वारण्ट एवं उसके जमानतियों को नोटिस अन्तर्गत धारा 446 Cr.P.C. दिनांक 18.05.2017 के लिये जारी किया जावे।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

01.05.2017

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। अभियुक्तगण रामनरेश, अनिल, शिवशंकर व भूषण जमानत पर उपस्थित आये हैं। अभियुक्त अमित अनुपस्थित है। अभियुक्त अमित की तरफ से श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट द्वारा एक हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र योजित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त की परीक्षा होने के कारण वह आज न्यायालय में हाजिर नहीं आ सका है। आज उपस्थित अभियुक्तगण के लिये आगामी तारीख 18.05.2017 नियत की जाती है। अभियुक्त अमित के हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र पर आदेश 02.00P.M. पर पारित किया जायेगा।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

आदेश

प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र अभियुक्त चन्द्रभान की ओर से इस आधार पर योजित किया गया है कि वह दिल्ली में पढ़ता है तथा उसका इग्जाम है, इस कारण अदालत नहीं आ सका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत केस में चन्द्रभान नाम का कोई अभियुक्त न तो चार्जशीट में है और न ही आरोप में है। अतः अभियुक्त चन्द्रभान, जो कि इस केस में अभियुक्त नहीं है, की तरफ से दिये गये हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।